

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 326/14

संस्थापन दिनांक :- 16/06/14

फाइलिंग नं. 233504003802014

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

केदार पिता चरणलाल बिहारे
उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम छावल,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

-(नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 08.06.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 31.05.2014 को समय 12:35 बजे या उसके लगभग बस स्टेंड आमला दुर्गा मंदिर के सामने थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी जिसकी कुल लंबाई 12 इंच चौड़ाई 1 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।

2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 31.05.2014 को सहायक उप निरीक्षक जी.पी. रम्मारिया को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि साप्ताहिक बाजार आमला में बस स्टेंड पर अभियुक्त केदार हाथ में एक लोहे की धारदार छुरी लेकर लहराते हुए लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना पर वह हमराह स्टाफ के मौके पर पहुंचा जहां अभियुक्त हाथ में एक लोहे की धारदार छुरी लिये मिला जिसे हमराह स्टाफ की मदद से छेड़ा और बांधी कर पकड़ा गया। अभियुक्त द्वारा छुरी रखने के संबंध में लायसेंस न होना बताये जाने पर उसने गवाहों के समक्ष अभियुक्त से छुरी जप्त कर जप्ती पत्रक एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 384/14 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत

प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 31.05.2014 को समय 12:35 बजे या उसके लगभग बस स्टैंड आमला दुर्गा मंदिर के सामने थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी जिसकी कुल लंबाई 12 इंच चौड़ाई 1 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?”

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

5 जी.पी. रम्मारिया (अ.सा.-1) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 31.05.2014 को थाना आमला में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर हमराह स्टाफ के साथ साप्ताहिक बाजार आमला बस स्टैंड पर पहुंचा जहां अभियुक्त हाथ में लोहे की धारदार छुरी लिए मिला। उसके द्वारा अभियुक्त से पूछताछ करने पर कोई लायसेंस न होना बताये जाने पर उसने अभियुक्त से गवाहों के समक्ष एक लोहे की धारदार छुरी जप्त कर (प्रदर्श प्री-2) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-3) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 384/14 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-1) लेख की थी।

6 शेख अलीम (अ.सा.-2) एवं यादोराव (अ.सा.-3) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफ्तारी से इंकार किया है परंतु साक्षीगण ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-2) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-3) पर उनके हस्ताक्षर होने स्वीकार किया है। अभियोजन द्वारा उक्त दोनों ही साक्षियों से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथनों से प्रकट नहीं हुए हैं।

7 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी शेख अलीम (अ.सा.-2) एवं यादोराव (अ.सा.-3) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर मात्र जी.पी. रम्भारिया (अ.सा.-1) की साक्ष्य उपलब्ध है। **न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ एम०पी० ऐ.आई.आर.1973 एससी 2783** के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी एक मात्र जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

8 जी.पी. रम्भारिया (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में मौके पर अभियुक्त से लोहे की एक छुरी जप्त करना, उसके गिरफ्तार करने के उपरांत थाने आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करना बताया है। प्रति परीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि उसने थाने में बैठकर सारी कार्यवाही की थी। इसके अतिरिक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण में औपचारिक स्वरूप के प्रश्न पूछे गये हैं जिससे उसके द्वारा अनुसंधान कार्यवाही का ब्योरा प्रकट होता है। जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-2) के अवलोकन से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्त से मौके पर लोहे का छुरा जप्त कर उसे मौके पर गवाहों के समक्ष सीलबंद किया गया हो। किसी स्वतंत्र साक्षी ने अपने समक्ष जप्ती का समर्थन नहीं किया है। साथ ही जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-2) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी-3) पर अपराध क्रमांक लेख है जिससे इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उक्त प्रपत्र जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही के उपरांत तैयार किये गये होंगे। स्वयं विवेचक साक्षी जी.पी. रम्भारिया (अ.सा.-1) के कथनों से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्त से कथित आयुध मौके पर जप्त कर सीलबंद किया गया हो तथा आयुध धारदार हो। न ही उपर्युक्त के संबंध में कोई ऐसा स्पष्टीकरण साक्षी के कथनों से प्रकट हुआ है। इसके अतिरिक्त जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-2) पर समय एवं दिनांक में ओव्हर राईटिंग की गयी है तथा जप्ती का समय 12:35 बजे एवं गिरफ्तारी का समय 12:40 बजे लेख है। मात्र 5 मिनट में अभियुक्त से जप्तशुदा आयुध जप्त कर उसे मौके पर नापजोप करने के उपरांत उसे सीलबंद करना, प्रपत्र तैयार करना एवं तत्पश्चात् गिरफ्तारी प्रपत्र तैयार करना अस्वाभाविक प्रतीत होता है। उपर्युक्त परिस्थितियां अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती को संदेहास्पद बनाती हैं। अतः यह नहीं माना जा सकता कि प्रकरण में जप्तशुदा कथित आयुध वही है जो अभियुक्त से जप्त किया गया था।

9 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 31.05.2014 को समय 12:35 बजे या उसके लगभग बस स्टैंड आमला दुर्गा मंदिर के सामने थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी जिसकी कुल लंबाई 12 इंच चौड़ाई 1 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश

राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त केदार को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

10 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की छुरी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

11 अभियुक्त के जमानत मुचलके 437-ए दं.प्र.सं. हेतु 6 माह के लिए विस्तारित किये जाते हैं। उसके पश्चात स्वतः निरस्त समझे जावेंगे।

12 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)